

# बिहार सरकार

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना

### अधिसूचना

संचिका सं० 14 डी०एल०ए, भोजपुर (रा०उ०पा०)-48/203 - 3030/रा० दि०-30-12-13

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-सकडी, थाना नं० 134 अंचल-काईलवर, जिला भोजपुर में सार्वजनिक परियोजनार्थ सकडडी से नासरीगंज तक बिहार राज्य पथ निर्माण के लिये सार्वजनिक व्यय से जमीन लेने की आवश्यकता है।

अतः यह सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजनार्थ ग्राम-सकडी, थाना नं० 134 अंचल-काईलवर, जिला भोजपुर में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश कृषि योग्य 1.895 एक एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा निम्नवत है:-

अंश खेसरा - 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2355, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2701, 3612, 3613, 3614, 3615, 3617, 3619,

चौहदी:-

उत्तर - सकडी नासरीगंज पथ

दक्षिण - सकडी नासरीगंज पथ एवं सिवाना मौजा-भदवर, थाना नं० 147


पूरब- अंश खेसरा 2690, 2702, 2701, 2695, 2694, 2693, 2692, 3600, 3612, 3617, 3615, 3616, 3618

पश्चिम -अंश खेसरा - 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 2690, 2691, 2693, 2692, 3600, 3612, 3613, 3614, 3618

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम 1-1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधिन जैसा की भू-अर्जन बिहार संशोधन अधिनियम की धारा 11सन् 1960(11) के द्वारा संशोधित हुआ है। उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है जिससे इसका संबंध है। भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है। उक्त अधिनियम की धारा-17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार ने निश्चय किया है कि परियोजना की शिघ्रता को देखते हुये अधिनियम की धारा 5(7) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-  
सरकार के अवर सचिव।


  
समाहर्ता  
भोजपुर, आरा।

ज्ञापांक 3.5.30/य, दिनांक 30-12-13

प्रतिलिपि:- निदेशक सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार पटना को घोषणा प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ समाचार पत्रों आज एवं हिन्दुस्तान में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरन कृपया समाहर्ता, भोजपुर एवं इस विभाग को उपलब्ध करा दिया जाए।

प्रतिलिपि:- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला-गजट शाखा-समाहरणलय भोजपुर को दो प्रतियों में जिला गजट को अगला असाधारण अंक प्रकाशनार्थ एवं उसकी दस प्रतियों में इस विभाग एवं जिला भू-अर्जन कार्यालय भोजपुर को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भोजपुर, आरा / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सचिव  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,  
बिहार, पटना  
✓